

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 1983/फाल्गुन 23, 1904
No. 119] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 1983/PHALGUNA 23, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भ्रम और पनर्वास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1983

का. आ. 173(अ) —राष्ट्रपति, केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन प्रयोज्य कृत्यों को, जहां तक ऐसे कृत्यों का संबंध न्यूनतम मजदूरी दर नियत और आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मद्रास, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल राज्यों के भीतर स्थित अभ्रक खानों में नियोजित कर्मचारियों के लिए इस प्रकार नियत की गई न्यूनतम दरों के पुनर्विलोकन और पनरीक्षण से है, जो ऊपर नामित राज्यों की सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए भारत के 2 जुलाई, 1960 के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3,

1452 GI/82

(1)

उपखंड (2) में प्रकाशित अभिसूचना सं. का.जा. 1659 तारीख 27 जून, 1960 द्वारा न्यस्त किए गए थे, वापस लेते हैं ।

[सं. एस-32019/27/82-डब्ल्यू.सी(एम. डब्ल्यू)]

एम. एल. मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 1983

S.O. 173(E).—The President is hereby pleased to withdraw the functions exercisable by the Central Government under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), in so far as such functions relate to the fixation of minimum rates of wages and the review and revision of minimum rates so fixed for employees employed in mica mines situated within the respective states of Andhra Pradesh, Bihar, Madras, Rajasthan and West Bengal, entrusted to the Government of the States named above, in exercise of the powers conferred by clause (1) of the Article 258 of the Constitution under Notification bearing S.O. 1659 dated June 27, 1960, published in the Gazette of India Part II, Section 3 (ii) dated the 2nd July, 1960.

[No. S-32019/27/82-WC (MW)]

M. L. MEHTA, Under Secy.